

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 6601 / R-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 5-5-2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/53059/2020)।

संदर्भ - भारत सरकार का पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/५२/२०२२/एफ०सी० दिनांक ०४. ११.२०२५ एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा का पत्रांक ३१९८/१२-१ दिनांक १७.०४.२०२६।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति एवं आपके द्वारा दिये गये स्थलीय निरीक्षण में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपत्ति निराकरण/आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही है-

क्र०सं०	आपत्ति	प्रत्युत्तर/आख्या
01	As per the DSS Analysis the KML area of the proposed forest land/ diversion land is still reflected as 0.03 ha. Instead of 2.62 ha. The correct KML file shall be uploaded by the State Forest Department.	प्रस्तावक विभाग के स्तर से के०एम०एल० फाईल में संशोधन कर पुनः आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
02	In the last EDS raised by this office stating that "construction work has been initiated near the riverside without approval as observed in the proposed area KML file". However, the reply submitted by the concerned DFO was found unsatisfactory. Therefore, the concerned CF shall carry out a site inspection and report whether any violation has occurred under the Forest (Conservation) Act, 1980.	विषयक प्रकरण पर आपके द्वारा दिनांक ०५. ०१.२०२६ के किये गये स्थलीय निरीक्षण में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर के समीप बगैर पुर्वानुमति के किये गये निर्माण कार्य के सम्बन्ध में समिति गठित करते हुए विस्तृत जाँच रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:-यथोक्त।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 6601 / R-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि-अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।



पत्रांक 1183 / 7 सी0
सेवा में,

दिनांक 18 अप्रैल 2026

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/53059 / 2020।

संदर्भ: भारत सरकार का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/52/2022/एफ0सी0 दिनांक 04.11.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण
1	As per the DSS analysis, the KML area of the proposed forest land/diversion land is still reflected as 0.03 ha instead of 2.62 ha. The correct KML file shall be uploaded by the State Forest Department.	के0एम0एल0 में सुधार कर पार्ट 1 के सैक्शन सी0 में अपलोड कर लिया गया है।
2	In the Last EDS raised by this office stating that "construction work has been initiated near the riverside without approval as observed in the proposed area KML file." However, the reply submitted by the concerned DFO was found unsatisfactory. Therefore, the concerned CF shall carry out a site inspection and report whether any violation has occurred under the Forest (Conservation) Act, 1980.	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

पंजीकृत सं...11830.....

फाईल सं...1-2-1-(2).....

दिनांक...18/04/2026.....

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता(पंचम), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

प्रा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।